an>

Title: Need to ensure maintenance of specified standard of education in medical colleges in the country.

कँवर भारतेन्द्र सिंह (बिजनौर) ः 23 मार्च, 2016 को मेडिकल कॉलेजों के नवीनीकरण के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आई.) द्वारा बुलायी गयी बैठक में जो जांच रिपोर्ट रखी गयी है वह बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि विशेषज्ञों ने पाया कि 52 मेडिकल कॉलेजों में से 32 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो दाखिले के लायक ही नहीं हैं।

इन मेडिकल कॉलेजों में कहीं शिक्षक तो कहीं डॉक्टर नहीं हैं, तो कहीं अस्पताल में उपचार की सुविधा न होने से मरीज ही नहीं आते। एम.सी.आई. की रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि बहुत से डॉक्टर विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में छदम शिक्षक के रूप में भी पंजीकृत हैं। कई मेडिकल कॉलेजों में तो विभिन्न रोगों के लिए वार्ड ही नहीं बन पाये हैं तथा किसी-किसी कॉलेज में तो आपातकालीन वार्ड तक निर्माणाधीन हैं। वर्तमान समय में देश के लगभग 452 मेडिकल कॉलेजों में 52,715 सीटें उपलब्ध हैं तथा 9 लाख 36 हज़ार डॉक्टर पंजीकृत हैं। देश में लगभग 1700 नागरिकों पर केवल एक डॉक्टर ही उपलब्ध है और इसमें से भी 80 फीसदी डॉक्टर मध्यम व बड़े शहरों मे हैं जबकि 65 फीसदी आबादी आज भी गांवों और कस्बों में निवास करती है। देश की चिकित्सा व्यवस्था लगभग 6 लाख डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रही है।

मेडिकल कॉलेजों में तभी अच्छे डॉक्टर तैयार हो सकते हैं जब उनमें तीन सुविधाएंÃ¬ हों- एक शिक्षक, दूसरे चिकित्सकीय उपकरण तथा तीसरे क्लीनिकल मैटीरियल यानी मरीज। इन तीनों के बूते ही डॉक्टरों की पढ़ाई होती है और एक योग्य डॉक्टर तैयार होता है। अगर उपरोक्त मेडिकल कॉलजों में इनके बिना पढ़ाई की जा रही है तो ऐसे में कैसे डॉक्टर तैयार होंगे ये आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आम नागरिकों की स्वास्थ्य चिकित्सा एवं इनमें पढ़ने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स के बेहतर भविष्य के लिए इस प्रकार के मेडिकल कॉलेजों की स्थायी रूप से निगरानी की उचित व्यवस्था की जाये तथा लापरवाही बरतने पर भारी जुर्माना, मान्यता रद्द करने जैसे कदम उठाये जायें, ताकि देश में अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था की जा सके।